कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक: 18.07.2026

□थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा जंगल के रास्ते बिहार वध हेतु ले जाए जा रहे 15 राशि गोवंश बरामद कर 03 गौ-तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

□ अभियुक्त देहात क्षेत्रों से सस्ते दामों पर गोवंश खरीदकर जंगल के रास्ते बिहार ले जाकर वध हेतु बेचने का कार्य करते थे।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष संतोष कुमार मय पुलिस टीम बरवाडीह के पास चेकिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति 15 राशि गोवंश को जंगल के रास्ते ग्राम परसिया, जमसोत होते हुए झरियावा (बिहार) वध हेतु पैदल ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर परसिया जंगल से 03 गौ-तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 राशि गोवंश (गाय एवं बछड़ा) बरामद किए गए।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कम कीमत पर गोवंश खरीदकर उन्हें एकत्रित करते थे तथा जंगल के रास्ते पैदल बिहार ले जाकर वध हेतु बेचते थे, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना चकरघट्टा पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बबुन्दर उर्फ बुल्लू पुत्र रामसखा, निवासी ग्राम परसहवा, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 42 वर्ष।

2. निखिल पुत्र बबुन्दर उर्फ बुल्लू, निवासी ग्राम परसहवा, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 22 वर्ष।

3. संदीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र राजेन्द्र, निवासी ग्राम परसहवा, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली, उम्र लगभग 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

- 15 राशि गोवंश (गाय एवं बछड़ा)